समाचार-प्रकाषनार्थ:-

बच्चे स्वच्छता के प्रति परिवार को जागरुक करे
स्वच्छ सर्वेक्षण-2021 के तहत आंनद कालोनी स्थित नवीन कन्या स्कूल में स्वच्छता जागरुकता श वर का आयोजनए बच्चों ने उत्साह से व भन्न प्रतियो गताओं में हिस्सा लया

रतलाम 13 फरवरी । शहर में साफ -सफाई बड़ी चुनौती हैए क्यों क इसी से गंभीर बीमारियां फैलती हैं और इसका असर सबसे ज्यादा बच्चों पर ही पड़ता है। व भन्न राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय मंचों पर बच्चों के स्वास्थ्य और उनके शारीरिकए मान सक वकास के लए बाल स्वच्छता को बहुत महत्वपूर्ण माना गया हैए ले कन दुर्भाग्य से 14 साल की उम्र के बच्चों में से 20 फीसदी से अ धक बच्चे असुर क्षत पानीए अपर्याप्त स्वच्छता या अपर्याप्त सफाई के कारण या तो बीमार रहते हैं या मौत का शकार हो जाते हैं। इसी तरह सफाई के अभाव के कारण डायरिया से होने वाली मौतों में पांच साल से कम उम्र के बच्चे होते हैं। ऐसे में स्वच्छता के प्रति सभी सर्तक रहे और वशेषकर स्कूली छात्र-छात्राएं अपने परिवार व समाज को भी स्वच्छता के प्रति जागरुक करे।
उक्त वचार नगर निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने शनिवार को आंनद कालोनी स्थित नवीन कन्या स्कूल में आयोजित स्वच्छता जागरुकता श वर के दौरान व्यक्त कए। इस अवसर पर श्री झारिया ने बच्चों को स्वच्छता के लए प्रेरक बाते भी समझाई।
कार्यक्रम में उपस्थित उपायुक्त श्री नि शकांत शुक्ला ने कहा क गंदगी से कई प्रकार की बीमारियां फैलती हैं। इस लए साफ-सफाई का जीवन में खासा महत्व है। चूं क स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ वचार उत्पन्न होते हैं। इस लए हमें स्वच्छता पर वशेष ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कहां क आप खुद जागरूक होने के साथ ही अन्य लोगों को भी इसके प्रति जागरूक करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा क बाहरी सफाई के साथ ही मन की सफाई भी काफी जरूरी है। इस लए अपने परिवार के अलावा समाज के भी कल्याण की कामना करें। तभी समाज व देश में खुशहाली व स्वच्छता फैलेगी।
स्कूल प्राचार्य ममता अग्रवाल ने स्वच्छता लाओ जीवन बचाओ का नारा देते हुए कहा क जब तक समाज का प्रत्येक व्यक्ति जागरूक नहीं होगा तब तक इस समस्या का समाधान नहीं हो पाएगा। लोगों को अपनी जिम्मेवारी समझनी होगी।

उन्होंने कहा क इस अभयान को सफल बनाने में बच्चों का खास महत्व है। यदि बच्चे जागरूक होंगे तो परिवार भी जागरूक होगा।

जागरुकता शवर में सर्व प्रथम मां.सरस्वती का पूजन आयुक्त श्री सोमनाथ झारियाए उपायुक्त श्री निशकांत शुक्ला व प्राचार्य ममता अग्रवाल ने कया। अतिथयों का स्वागत सुधीर गुप्ताए निखोरिया मेम और अनिल पांचाल ने कया। कार्यक्रम का संचालन श्रीमती सीमा खराड़ी और आभार व्यक्त श्रीमती सुरेखा माना ने कया।

स्पर्धा मेें सुनैना और आराधना ने बाजी मारी

स्वच्छता जागरुकता शवर के दौरान स्कूली छात्राओं ने रांगोलीए मेंहदीए चत्रकलाए निबंध सहित आधा दर्जन प्रतियोगताओं में बढ़चढ़ कर हिस्सा लया। यहां आयोजित निबंध प्रतियोगता में जारा खानए पायल कुमावत और शगुफ्ता खान तो पुरुस्कृत कया गया। इसी तरह रांगोली प्रतियोगता मेें आराधनाए करिश्माए ज्योति और शगुफ्ता खान को पुरुस्कृत कया गया। चेयर रेस में सुनेनाए पायल और बारकु ने बाजी मारी है। मेंहदी प्रतियोगता में नोशनाए चंचल और निखत को पुरुस्कृत कया गया।

ये रहे निर्णायक स्वच्छता जागरुकता शवर में आयोजित वभन्न स्पर्धाओं के निर्णायक श्रीमती कनाड़ेए श्रीमती रेखा अग्रवालए करुणा मेमए रेखा मेहराए श्रीमति निखोरिया मेमए श्रीमती ताहेरा खानए श्रीमती अनिता अलेक्जेण्डरए असरा सद्दकीए श्रीमती माना मेम रहे।

कचरा पात्र नहीं रखने पर अब फुटकर वक्रेताओं पर भी होगा जुर्माना

कालका माता क्षेत्र में 4 फुटकर व्यापारियों पर हुआ जुर्माना

रतलाम 13 फरवरी । नगर को साफ-स्वच्छ रखने हेतु नगर निगम द्वारा नगर के नागरिकोंए दुकानदारों आदि से कचरा संग्रहण हेतु कचरा पात्र रखने की अपील के बेहतर परिणाम प्राप्त हो रहे है कन्तु नगर के सब्जीए फल-फुरट सहित अन्य सामग्री के फुटकर वक्रेताओं द्वारा कचरा पात्र नहीं रखकर खुले में गंदगी फैलाई जा रही है ऐसे फुटकर व्यापारियों पर नगर निगम द्वारा जुर्माने की कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देषानुसार कालका माता क्षेत्र के फुटकर व्यापारी द्वारा कचरा पात्र नहीं रखने व खुले में कचरा फेंकने पर की गई जुर्माने की कार्यवाही के तहत चाणोदिया मटका कुल्फीए राहूल वाघेलाए राज माहेष्वरी व षर्मा पाव-भाजी पर 250.250 रूपये का जुर्माना कर भवश्य में कचरा खुले में ना फेंकने व अनिवार्य रूप से कचरा पात्र रखने की समझाईष दी गई।

वार्ड में गंदगी पाई गई तो झोन प्रभारीए वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षक के वरूद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 13 फरवरी । स्वच्छ सर्वेक्षण-2021 में रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर-1 बनाने हेतु नगर निगम दृढ़ संकल्पित हैए जिसके तहत वार्डो की सड़कए गलीए सार्वजनिक स्थलए नाले-ना लयों आदि समु चत सफाई हेतु झोन प्रभारीए वार्ड दरोगा व वार्ड के सफाई संरक्षक पाबंद है। वार्डो में गंदगीए कचरे के ढेरए नाले-ना लयों में कचरा पाये जाने पर संबं धतों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।
निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया क वार्डो की समु चत साफ-सफाई का दायित्व झोन प्रभारीए वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षकों का दायित्व है वे अपने कर्तव्य का निर्वहन पुरी निश्ठा एवं ईमानदारी करें यदि वार्डो में साफ-सफाई नहीं पाई जाती है तो संबं धतों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

वेदव्यास कालोनी में सोमवार को लगेगा निगम का बकाया वसूली श वर
नागरिकों ने 25ए09ए144रु. संपत्तिकर व 6ए38ए470रु. जलकर जमा कराया
रतलाम 13 फरवरी । नागरिकों की सु वधा को ध्यान में रखते हुए निगम से संबंधीत करों को जमा कराने हेतु वार्ड वार बकाया वसूली ष वर 18 जनवरी से आयोजित कये गये है जो 27 मार्च तक चलेंगे।
आयोजित ष वरों में नागरिक नगर निगम की बकाया संपत्तिकरणए जलकरए दुकानए गुमटी करायाए लायसेंस षुल्क एवं वकास षाखा से संबं धत भवन की कष्त तथा भू-भाटक की बकाया रा ष जमा करा सकेगें।
निगम द्वारा आयोजित ष वरों में नागरिकों ने उत्साह दिखाते हुए गांधीनगर ष वर में संपत्तिकर 1ए10ए000रु. व जलकर 6ए000रु.ए मालवा नगर लक्ष्मणपुरा ष वर में संपत्तिकर 1ए40ए000रु. व जलकर 55ए775रु.ए अम्बे माता जवाहर नगर ष्वििर में संपत्तिकर 2ए38ए000रु. व जलकर 49ए010रु.ए वनोबा नगर ष वर में संपत्तिकर 1ए29ए000रु. व जलकर 43ए670रु.ए अलकापुरी कम्यूनिटी हॉल ष वर में संपत्तिकर 1ए22000रु. व जलकर 29ए280रु.ए तिरूपति ष वर में संपत्तिकर 77ए000रु. व जलकर 19ए850रु.ए कोमल नगर ष वर में संपत्तिकर 1ए27ए000रु. व जलकर 48ए220रु.ए मार्निंग स्टार स्कूल ष वर में संपत्तिकर 1ए12ए000रु. व जलकर 14ए000रु.ए कस्तुरबा नगर ष वर में संपत्तिकर 5ए47ए000रु. व जलकर 86ए540रु.ए प्रयदर्षनी नगर ष वर में संपत्तिकर 1ए02ए000रु. व जलकर 3ए76ए905रु.ए डोंगरे नगर ष वर में संपत्तिकर 1ए82ए500रु. व जलकर 76ए470रु.ए हाट रोड ष वर में संपत्तिकर 68ए000रु. व जलकर 47ए595रु.ए कलीमी कालोनी ष वर में संपत्तिकर

1ए17ए000६. व जलकर 22ए680६.ए राजेन्द्र नगर ष वर में संपत्तिकर 1ए01ए644६. व जलकर 55ए320६.ए काटजू नगर ष वर में संपत्तिकर 2ए76ए000६. व जलकर 59ए500६. की रा ष जमा कराई। इस तरह नागरिकांेें ने अब तक आयोजित ष वरों मेंें 25ए09ए144६. संपत्तिकर व 6ए38ए470६. जलकर की रा ष जमा कराई।

वार्ड वार आयोजित कये गये वसूली ष वरो के अंतर्गत वार्ड क्रमांक 48 के लये 15 फरवरी को वेदव्यास कालोनीए वार्ड क्रमांक 22 के लये 16 फरवरी को कल्याण नगरए वार्ड क्रमांक 18ए 19 व 20 के लये 17 से 18 फरवरी तक दीनदयाल नगरए वार्ड क्रमांक 44 व 23 के लये 19 व 22 फरवरी को बोहरा बाखलए वार्ड क्रमांक 23 व 44 के लये 23 फरवरी को रामगढ़ए वार्ड क्रमांक 21 व 45 के लये 24 से 25 फरवरी तक लक्कड़पीठा प्याऊ के पासए वार्ड क्रमांक 48 व 49 के लये 26 फरवरी व 1 मार्च को आर्य समाज मंदिर धानमण्डीए वार्ड क्रमांक 40 व 41 के लये 2 मार्च को जूनी कोर्ट करण टॉकजए वार्ड क्रमांक 28ए 29ए 36ए 37 व 38 के लये 3 से 4 मार्च को लॉ कॉलेज आनंद कालोनीए वार्ड क्रमांक 28 के लये 5 मार्च को प्रताप नगर उद्यान के पासए वार्ड क्रमांक 13 के लये 6 मार्च को महावीर नगरए वार्ड क्रमांक 39ए 40 व 41 के लये 8 से 9 मार्च तक पैलेस रोड तिराहाए वार्ड क्रमांक 25ए 26 व 27 के लये 10 मार्च को चौगानिया भेरूए वार्ड क्रमांक 24ए 25 व 42 के लये 12 व 15 मार्च को षक्षा वभाग सायर चबुतराए वार्ड क्रमांक 43 व 45 के लये 16 व 17 मार्च तक चौमुखीपुल प्याऊ के पासए वार्ड क्रमांक 41 के लये 18 से 19 मार्च तक बजाजखाना गणेष देवरीए वार्ड क्रमांक 33ए 34 व 35 के लये 20 व 22 मार्च को षास्त्री नगर सेंट्रल बैंक के पासए वार्ड क्रमांक 33 व 34 के लये 23 से 24 मार्च तक दो बत्ती चौराहाए वार्ड क्रमांक 30ए 31ए 32 व 34 के लये 25 से 26 मार्च तक स्टेषन रोड दिलबहार चौराहा व वार्ड क्रमांक 16 व 17 के लये 27 मार्च को टाटा नगर में कार्यालयीन समय में ष वर आयोजित कये गये है।

निगम द्वारा जारी अपील में नागरिकों से अनुरोध कया गया है क निगम द्वारा उक्त ष वर बकायादारों की सु वधा के लए आयोजित कये गये है इन आयोजित ष वरों में बकायादार अपनी बकाया रा ष जमा कर निगम को सहयोग प्रदान करें।

स्वच्छंद वचरण करने वाले मवे शयों को रात्रि में भी पकड़ा जायेगा

656 मवे शयों को पकड़कर गौशालाओं में भेजा

रतलाम 13 फरवरी । रतलाम नगर को साफ-स्वच्छ व सुन्दर बनाने हेतु नगर निगम द्वारा सार्वजनिक स्थानोंए सड़कोंए चौराहों पर स्वच्छंद वचरण करने वाले मवे शयों को दिन में पकड़े जाने के साथ ही निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया

के निर्देशानुसार निगम के स्वास्थ्य वभाग अमले द्वारा अब रात्री में भी मवे शयों को पकड़ा जायेगा क्यों क मवेशी पालको द्वारा दिन में मवे शयों को बांधकर रखा जाता है तथा रात्रि में खुला छोड़ दिया जाता है जिससे शहर में गंदगी होती है।

कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पा लक निगम रतलाम श्री गोपालचन्द्र डाड व निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार स्वास्थ्य अमले द्वारा 13 अक्टूबर से अ भयान चलाया गया तथा 13 फरवरी तक शहर के व भन्न क्षेत्रों से 656 मवे शयों को पकड़ा जाकर जिले की व भन्न गौशालाओं में भेजा गया। अ भयान के तहत 13 फरवरी को दो बत्ती थाने के सामने व सैलाना रोड से 2 मवेशी निगम के स्वास्थ्य वभाग के अमले द्वारा पकड़े गये।

शहर के सार्वजनिक स्थानोंए सड़को चौराहो को मवेशी मुक्त बनाये जाने हेतु नगर निगम द्वारा शहर के मवेशी पालकों के बाड़े एवं तबेलो को अ भयान चलाकर तोड़ा जायेगा इस हेतु निगम द्वारा नगर के सभी मवेशी पालकों को नोटिस जारी कया गया है। शहरी क्षेत्र में मवे शयों का पालन करना नियम वपरित हैए ऐसे मवेशी पालक जो क शहरी क्षेत्र में अनुमति के वपरित तबेले एवं बाड़ो का निर्माण कर मवे शयों का पालन कया जा रहा है वे स्वंय अपने तबेले एवं बाड़े नहीं तोड़ते है तो निगम द्वारा उन्हे तोड़ा जाकर रा श वसूल की जायेगी।

नगर निगम एक्ट की धारा 358 के तहत कोई भी व्यक्ति जो क अपना घोड़ा या अन्य कसी भी पशु को अपनी इच्छा से खुला छोडेगा व उससे कसी व्यक्ति या संपत्ति को नुकसान पंहूचता है तो पालक पर 500 रूपये का अर्थदण्ड कये जाने का प्रावधान हैं। निगम एक्ट के तहत अब स्वच्छंद वचरण करने वाले मवेशी पालकों के घर जाकर निगम दस्ता अर्थदण्ड रा श रूपये 500६. वसूल करेगा

स्वच्छंद रूप से वचरण करने वाले मवे शयों को पकड़ने की कार्यवाही प्रभारी स्वास्थ्य अ धकारी श्री ए0पी0 संहए झोन प्रभारी श्री करण चौहानए श्री पर्वत हाड़े व स्वास्थ्य वभाग के अमले द्वारा की गई।

निगम द्वारा युद्ध स्तर पर कये जा रहे है लीकेज दुरस्त

114 दिनों में 142 वॉल्व व 775 पाईप लीकेज दुरस्ती का कार्य पूर्ण

रतलाम 13 फरवरी । शहर की जलप्रदाय व्यवस्था को निरंतर बनाये रखने तथा जलप्रदाय व्यवस्था को ओर अ धक सुदृढ बनाये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार पाईप लाईन व वॉल्व लीकेज दुरस्त करने का कार्य जलप्रदाय वभाग द्वारा 23 अक्टूबर से प्रारंभ कया गया जिसके तहत 13 फरवरी तक 142 वॉल्व व 775 पाईप लाईन लीकेजों को दुरस्त कया जा चुका है।

‘ ‘रतलाम जलशक्ति अ भयान’ ’ व्हाट्स एप ग्रुप में लीकेज की समस्या को अपलोड कया जा रहा है तथा अपलोड़ की गई लीकेज संबंधी समस्या का तत्काल निराकरण करवाया जा रहा है जिसके तहत 13 फरवरी शनिवार को रेल नगरए टैंकर रोडए सज्जन मल रोडए सुभाष नगर मंदिर वाली गलीए मोती नगरए गीता मंदिर रोडए जय भारत नगरए हाकमवाड़ाए महालक्ष्मी नगरए महावीर नगर व बसंत वहार कालोनी में पाईप लाईन लीकेज दुरस्त कये गये।

उक्त कार्यवाही कार्यपालन यंत्री श्री सुरेशचन्द्र व्यासए जलप्रदाय वभाग प्रभारी श्री सत्यप्रकाश आचार्यए उपयंत्री श्री सुहास प ंडतए श्री भैयालाल चौधरी के अलावा श्री नीरज यादवए श्री देवेन्द्र पवांर आदि के निर्देशन में की गई।

दिव्यांगजन युडीआईडी प्रमाण पत्र हेतु दस्तावेज जमा करावें

रतलाम 13 फरवरी । समस्त श्रेणी के दिव्यांगजन यु.डी.आई.डी. प्रमाण-पत्र बनवाने हेतु नगर निगम वकास शाखा स्थित पेंशन शाखा में आवश्यक दस्तावेज पासपोर्ट साईज फोटोए राशन कार्डए मतदाता परिचय पत्रए आधार कार्डए समग्र आई.डी.ए निःशक्त प्रमाण-पत्रए मोबाईल नम्बर तत्काल कार्यालयीन समय में जमा करावें ।

गीले एवं सूखे कचरे के पृथक्कीकरण की दी समझाईश स्वच्छता के लये नगारिक दे रहे हैं फीडबैक

रतलाम 13 फरवरी । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया द्वारा दिये गये निर्देशानुसार नगर के समस्त घरोंए दुकानों आदि से 100 प्रतिशत गीला एवं सूखा कचरा पृथक-पृथक संग्रहित कये जाने हेतु नगर निगम की सहयोगी संस्था टीम आस्था के सदस्यों द्वारा नगर के व भन्न क्षेत्रों में जाकर नागरिकों को स्वच्छता बनाये रखने गीला व सूखा कचरा पृथक-पृथक रखने की समझाईश दी जा रही है।

नगर निगम की सहयोगी संस्था टीम डवाईन के सदस्यों द्वारा नगर के व भन्न क्षेत्रों में जाकर नागरिकों को गीले एवं सूखे कचरे के पृथक्कीकरण हेतु घरों एवं दुकानों में पृथक-पृथक कचरा पात्र रखकर पृथक-पृथक कचरा एकत्रिकरण व गीले एवं सूखे कचरे को निगम के कचरा संग्रहण वाहन के पृथक-पृथक भागों में डालने की समझाईश दी साथ ही नागरिकों से स्वच्छता हेतु स्वच्छता एप पर सटीजन फीडबैक लया।

सफाई संबंधी शकायत दर्ज कराने हेतु नागरिक स्वच्छता एप का उपयोग करें

रतलाम 13 फरवरी । रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर 1 बनाने हेतु कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पा लक निगम रतलाम श्री गोपालचन्द्र डाडए निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार स्वच्छ भारत मशन के तहत सफाई

संबंधी शकायत दर्ज कराने के लये भारत सरकार द्वारा तैयार कये गये स्वच्छता एप की जानकारी निगमकर्मियों व नगर निगम की सहयोगी संस्था आस्था के सदस्यों ने शहर के व भन्न क्षेत्रों में नागरिकों को दी।

स्वच्छ भारत मशन के तहत कये जा रहे स्वच्छता सर्वेक्षण-2021 में रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर 1 बनाने के लये रतलाम नगर के नागरिक सफाई संबंधी शकायत स्वच्छता एप दर्ज कराने के लये अपने एन्ड्रोयड मोबाईल पर गूगल प्ले स्टोर में जाकर स्वच्छता एप टाईप करेंए उसके पश्चात एप को इन्सटाल करें। इन्सटाल करने के बाद एप्लीकेशन ओपन करके अपना मोबाईल नम्बर रजिस्टर्ड करें। इसके बाद अपना जीपीएस ऑन करें इसके बाद आपकी सफाई संबंधी शकायत का फोटो लेकर अपलोड करें। अपलोड की गई शकायत नगर निगम के पास आयेगी ओर उसका तत्काल निराकरण कया जायेगा।

कचरा पृथक्कीकरण हेतु नागरिक एवं दुकानदरों को रखना होंगे 4 डस्टबीन

खुले में कचरा डालने व गंदगी करने वालो पर सीसीटीवी से रखी जा रही है निगरानी

अतिक्रमण व गंदगी करने पर होगा जुर्माना

रतलाम 13 फरवरी । नगरीय क्षेत्र रतलाम के दुकानदार एवं नागरिक जो क अपनी दुकानों एवं घरों में ठोस अप शष्ट प्रबंधन नियम 2016 के तहत कचरा पृथक्कीकरण हेतु 4 डस्टबीन नहीं रख रहे है व दुकानों के सामने गंदगी व अतिक्रमण कर रहे उन पर निगम के स्वास्थ्य अमले द्वारा जुर्माने की कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है। नगरीय क्षेत्र रतलाम के दुकानदार अपनी दुकानों में गीले कचरे अर्थात कीचन में बनी हुई खाद्य सामग्रीए फल-सब्जी के छिलकेए घांस व पेड़ की पत्तियांए राखए चाय पत्तीए बचा हुआ खाना आदि के लये हरा डस्टबीनए सूखा कचरा अर्थात पुस्टाए अखबारए लोहाए कपड़ाए शालए कांचए पैकंग मटेरियलए टुटे खलौनेए प्लास्टिक आदि के लये नीला डस्टबीनए घरेलू हानिकार कचरे के लये पेन्ट के डब्बेए पेस्टीसाइड के डब्बेए सीएफएलए ट्यूबलाईटए थर्मामीटरए बैटरी आदि के लये काला डस्टबीन तथा मेडकल वेस्ट अर्थात् सेनेटरी नेपकीनए डायपरए सुईए संरिजए मास्कए ग्लब्सए पीपीई कीट आदि के लये पीला डस्टबीन रखकर अपने घरों एवं दुकानों तथा प्रतिश्ठानों में ही कचरे का पृथक्कीकरण कर निगम के कचरा संग्रहण वाहन के पृथक-पृथक भागों में डालकर कचरा पृथक्कीकरण कार्य में अपना सहयोग प्रदान करें। जो नागरिक या दुकानदार उक्तानुसार कचरे का पृथक्कीकरण नहीं करेगा व खुले में कचरा डालने वालो उन पर जुर्माने की कार्यवाही की जावेगी।

नागरिक एवं दुकानदार खुले में कचरा डालेंगे तो उन पर भी नगर निगम अमले द्वारा जुर्माने की कार्यवाही की जायेगी। नगर के वभिन्न स्थानों पर लगे सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से खुले में कचरा डालने व गंदगी करने वालों पर कन्ट्रोल रूम पर निगरानी रखी जा रही है। नगर निगम की टीम संबंधित के घर एवं दुकानों पर जाकर 5000.5000 हजार का जुर्माना करेगी।

समाचार/ज.सं. व./हेमन्त/13ण02ण2021ध्न.पा.निगमए रतलाम.